भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4078 का उत्तर

रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं

4078. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चलती रेलगाड़ियों में बीमार यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे तर्क क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी हां। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और सवारी गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलिण्डर इत्यादि से सुसज्जित मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं। फ्रंट लाइन कर्मचारी अर्थात गाड़ी टिकट परीक्षक, गाड़ी अधीक्षक, सहायक स्टेशन मास्टर इत्यादि प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नजदीक के अस्पताल और डॉक्टरों के संपर्क नं. सहित उनकी सूची सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेलवे की एंबुलेंस सेवा, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एंबुलेंस सेवा मुहैया कराने वाले, घायल, बीमार यात्रियों को अस्पताल/डॉक्टर के क्लिनिक तक ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाती है।

****

mm